मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

नगर निगम की लूट कमाई का बडा स्त्रोत है तोड़-फोड़ 3
सत्तासीनों को लठ की नहीं, वोट की चोट से दो जवाब : भूपेन्द्र हुड्डा 4
कश्मीरी पंडितों और स्थानीय नागरिकों की हत्या संबंधी सवाल मुझसे करें 5
'ब्लड मनी' नहीं, नागरिक पर भरोसा हो 6
आंगनवाड़ी:शासकों की लूट कमाई का साधन बन कर रह गयी 8

वर्ष 35 | अंक 49 | फरीदाबाद | 17-23 अक्टूबर 2021 | फोन-8851091460 | ₹3.00

मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश से लगा एसएचओ पिटा

अनंगपुर में खुदंक निकाली, मसला शराब मंथली का

फ़रीदाबाद (म.मो.) इन्स्पेक्टर सूरजपाल करीब दो सप्ताह पूर्व ही थाना सूरजकुंड का एसएचओ तैनात हुआ था। इसी थाना क्षेत्र से बड़ी मात्रा में होने वाली शराब तस्करी करने वाले गिरोह ने जब नये एसएचओ को घास नहीं डाली व मिलने तक नहीं आये तो बुधवार की रात को एसएचओ साहब तीन पुलिसकर्मियों को लेकर खड़िया खान वाले उस ठेके पर जा पहुंचे जहां से दिल्ली के लिये शराब निकलती है। एसएचओ ने वहां मौजूद तीन-चार कारिंदों को जब थानेदारी दिखाई तो उन लड़कों ने अपने आका बंटी व सरजीत को फ़ोन लगाया, तुरंत ही पचासों लड़कों का गिरोह मौके पर पहुंच गया। गांव अनंगपुर के इन लड़कों की जानकारी रखने वालों की मानें तो उन्होंने एसएचओ को न केवल गालियां दीं बल्कि धक्का-मुक्की व थप्पड़-चट्टू भी लगा दिये। इसी खुंदक में दो-तीन दिन बाद एसएचओ साहब गांव में सरजीत के घर पहुंच गये, साथ में वही तीन पुलिसकर्मी। सरजीत को गिरफ्तार करने का बहाना था मुकदमा नम्बर 267 जो 2020 में उसके विरुद्ध कच्ची शराब तोड़ने को लेकर दर्ज किया गया था। सरजीत को घर से निकाल कर ज्यों ही जिप्सी में बैठाया जा रहा था, उसने

एसएचओ सोहनपाल : मोटा खाने के चक्कर में पिटा

पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। इसे देखते ही उसके घर की महिलायें व गिरोह के अन्य लड़के पुलिस पर टूट पड़े, अच्छी-खासी पिटाई के बाद पुलिस बैरंग थाने लौट आई। एसएचओ सिर में लगी चोट की मरहम पट्टी कराने जब बीके अस्पताल आये तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछताछ कर ली तो इस फ़जीहत का राज खुल गया, वरना इस फ़जीहत को भी बुधवार की रात वाली फ़जीहत की तरह एसएचओ पी जाता।

सुधी पाठक भली-भांति समझ गये होंगे कि एसएचओ का लक्ष्य न तो शराब तस्करी रोकना था और न ही सरजीत को कोई सज़ा दिलाना था, उनका एकमात्र उद्देश्य तो अपनी सेटिंग करना था। वरना, यदि तस्करी रोकना मकसद होता तो एसएचओ पूरी फ़ोर्स लेकर मजबूती के साथ तस्करों पर धावा बोलता। और तो और बुधवार रात को तस्करों के हाथों हुई अपनी फ़जीहत को लेकर भी एसएचओ ने कोई एफ़आईआर तक दर्ज नहीं की।

तस्करों के प्रति नर्मी का कारण

सुधी पाठकों ने पिछले अंकों में पढ़ लिया होगा कि थाना डबुआ में तैनाती के दौरान सोहनपाल के विरुद्ध गंभीर शिकायतों के फलस्वरूप उन्हें सीपी अरोड़ा द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया था। फ़िर यकायक उन्हें सूरजकुंड जैसे अति मलाईदार थाना सौंप दिया गया। यह सब यूं ही नही हो गया। इसके लिये स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने सीपी से सिफ़ारिश की तो उन्होंने साफ़ कह दिया था कि सोहनपाल पुलिस लाइन से बाहर निकालने लायक नहीं है। इस पर कृष्णपाल ने मुख्यमंत्री खट्टर को कहा जिन्होंने आगे डीजीपी प्रशान्त अग्रवाल से कह कर सोहनपाल को सुरजकुंड थाने का एसएचओ तैनात करा दिया। बतौर सीपी हनीफ़ कुरैशी की तैनाती के दौरान जब सोहनपाल पाली चौकी इन्चार्ज थे तो गंभीर शिकायतों के चलते निलम्बित कर दिये गये थे, परन्तु मंत्री कृष्णपाल द्वारा उन्हें तुरन्त न केवल बहाल करा दिया गया था बल्कि पदोन्नत करा कर इन्स्पेक्टर भी बनवा दिया गया था। दरअसल सोहनपाल गूर्जर होने के नाते कृष्णपाल के मामा राजपाल के प्रति अति वफ़ादार एवं ताबेदार रहे हैं। मामा के इशारे पर वह कुछ भी कर गुजरने को सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे वफ़ादार को भला मामा जी कैसे लाइन में रहने दे सकते थे।

थाना सूरजकुंड के रास्ते होने वाली शराब तस्करी फ़ार्म हाउसों में चलने वाले अवैध धंधे तथा कई अन्य काले-पीले धंधे मामा की मोटी कमाई के स्रोत हैं। इस लूट कमाई से पुलिस को जाने वाली मोटी मंथली को भी खुद पचाने के लिये मामा ने अपने इस वफ़ादार को सूरजकुंड में तैनात कराया था। मामा द्वारा जिसे लाइन से निकलवा कर सूरजकुंड जैसा थाना दिलवाया हो तो फिर भला उसे मामा के कारोबार से मंथली किस बात की? लेकिन सोहनपाल एसएचओ होते हुए भला कैसे चुपचाप इस लूट में से अपना हिस्सा छोड़ सकता था, लिहाजा ये सब फ़जीहत भरे कांड होने लगे। कांड तो हुए लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने वह सब कुछ नहीं किया जो ऐसे में पुलिस को करना चाहिये था। क्यों? क्योंकि मामा की ओर से आदेश प्राप्त हो गये थे कि वे खुद सरेंडर करा देंगे और उन्हें चुपचाप व बाइज्जत कोर्ट में पेश करा दिया जाए।

यहां सीपी साहब पर भी सवाल उठना लाजमी है। आखिर ज़िले भर की पुलिस के मुखिया तो वे ही हैं। मान लिया कि उनके न चाहते हुए भी डीजीपी के आदेश पर सोहनपाल को थाना सूरजकुंड सौंप दिया गया परंतु सीपी कोई एक एसएचओ के भरोसे थोड़े ही इलाका चला रहे हैं। उनके पास अफ़सरों व अन्यकर्मियों की लम्बी-चौड़ी फ़ौज है। वह और कुछ नहीं तो खड़िया खान के ठेके सहित तस्करी के तमाम रास्तों को सील कर सकने की शक्ति रखते हैं। यदि वे वास्तव में ही ईमानदार हैं और शराब तस्करी को रोकना चाहते हैं तो फ़िर ज़रा खुल कर मैदान में आएं। ईमानदार एवं कर्मठ हैं तो दिखने भी चाहिए।

लखीमपुर में सोचा-समझा नरसंहार एकपक्षीय गृह राज्य मंत्री गिरोह ही जिम्मेदार

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली। किसान नेता राकेश टिकैत की कानूनी सूझ-बूझ का लोहा मन जाना चाहिए। वे अकेले व्यक्ति हैं जो पहले दिन से 3 अक्तूबर के लखीमपुर खेरी के 'ब्लड बाथ' में हत्याओं के दो सेट को एक दूसरे से भिन्न रखकर देखने की वकालत कर रहे हैं। इसके लिए, पूर्व में दिल्ली पुलिस में काम कर चुके, राकेश टिकैत को जितनी भी सख्त टीका-टिप्पणी का सामना करना पड़ रहा हो पर कानूनी रूप से उनका स्टैंड शत-प्रतिशत ठीक है। दरअसल, भारत का फौजदारी कानून भी सोची-समझी हत्या और क्षणिक आवेश में की गयी हत्या में भेद करता है। टिकैत ने भी इतना भर ही किया है।

लखीमपुर में यूपी पुलिस ने हत्या के दो मुकदमे दर्ज किये हैं। एक तो आंदोलनरत किसानों की ओर से, जिनपर, शांतिपूर्वक पैदल मार्च करते हुए, पीछे से गाड़ियाँ चढ़ा दी गयीं और चार किसानों व एक स्थानीय जर्नलिस्ट की जान चली गयी। अनेकों किसान घायल हुए। दूसरा मुकदमा उन हत्यारी गाड़ियों में सवार एक भाजपा कार्यकर्त्ता की ओर से दर्ज किया गया है जिसमें वहां के प्रमुख किसानों को नामजद किया गया है। इसे क्रॉस केस कहते हैं जो भाजपाई हमलावरों का दबदबा बनाये

गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ही जिम्मेदार : राकेश टिकैत

रखने के लिए है। अन्यथा, एक ही सिलसिले की घटनाओं में दो केस दर्ज करने से बचा भी जा सकता था।

तो भी, सुप्रीम कोर्ट का चाबुक पड़ने के बाद होश में आयी यूपी पुलिस को मुख्य आरोपी मंत्री-पुत्र आशीष मिश्र की गिरफ्तारी से लेकर उसके पुलिस रिमांड और अपराध के रिकंस्ट्रक्शन तक की कवायद करते फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन अंततः उसे यह भी तय करना ही पड़ेगा कि क्या केन्द्रीय राज्य मंत्री के भाजपायी गिरोह द्वारा 5 व्यक्तियों को गाड़ी से कुचलकर ठंडे दिमाग से की गयी हत्याएं और तदनुपरांत उसी क्रम में उत्तेजित किसान समूह द्वारा 3 आक्रमणकारियों की हत्याएं एक ही कानूनी खांचे में रखी जायेंगी या अलग-अलग। टिकैत ने हत्याओं के इन दो सेट के बीच के कानूनी फर्क को ही रेखांकित किया जब उन्होंने 'क्रिया की प्रतिक्रिया' वाली टिप्पणी की, हालाँकि उनका शब्दों का चुनाव गलत था।

भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड (आईपीसी) में इसीलिये हत्या के लिए दो अलग धाराओं का प्रावधान भी है- धारा 299 और धारा 300। यूँ तो दोनों धारा के अंतर्गत हुए मौत के अपराध को मानव वध ही कहा जाएगा, लेकिन जहाँ एक हत्या की कोटि में आएगा (धारा 300) वहीं दूसरा हत्या की कोटि में नहीं आएगा (धारा 299)।

ऐसा इसलिए, क्योंकि कानून अपराधी की खोटी नीयत का गंभीर संज्ञान लेता है और साथ ही स्वाभाविक मानवीय उकसावों को अनुपातिक रियायत भी देता है।

क्या किसान आन्दोलन को कुचलने में लगी यूपी की योगी सरकार लखीमपुर किसान संहार की छान-बीन में अपनी पुलिस को कानून की मंशा लागू करने देगी? या किसानों को भी सामान रूप से हत्यारोपी बना कर मोदी सरकार की किसान विरोधी मंशा को ही तरजीह देगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को होनी है।

प्रशासन का बुलडोज़र गरीबों पर ही चलता है

फ़रीदाबाद (म.मो.) चाहे खोरी हो चाहे सड़क किनारे बसी मज़दूर बस्ती हों, सब पर प्रशासन के बुल्डोज़र को चलने में कतई कोई हिचक नहीं होती। सेक्टर 37 से लेकर कैली गांव तक के बाइपास रोड को चौड़ा करने के नाम पर जो भी तोड़-फोड़ की जा रही है, उसका शिकार भी गरीब बस्तियां ही हो रही हैं।

इसी सप्ताह सेक्टर 17 के सामने एवं गुडगावां नहर के किनारे बसी सैंकड़ों झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त किया जा रहा है। माना कि सड़क चौड़ी करने के लिये इनका सफ़ाया करना अति आवश्यक है। लेकिन यहां पहला प्रश्न तो यह उठता है कि 40 वर्षों से बसे लोगों के पुनर्वास की सरकार ने क्या व्यवस्था की? विदित है कि जब ये लोग सेक्टर 16 ए के लक्ष्मण बाग से उजाड़ कर प्रशासन द्वारा यहां बसाये गये थे तो इस जगह की कोई उपयोगिता नहीं थी। बाइपास रोड के नाम पर मात्र 12 फुट चौड़ी आधी-अधूरी सड़क ही थी। रात्री में यहां से गुजरते डर लगता था।

दूसरा बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सेक्टर 2 के सामने बने आलीशान शोरूमों को छूने से प्रशासन के हाथ क्यों कांपने लगते हैं? इसी सड़क पर और भी कई शो रूम न केवल पूरी तरह से अवैध बने हुए हैं बल्कि उन्होंने जमीन भी सरकारी कब्जाई हुई है।

जानकार बताते हैं कि इन शो रूमों को बचाने के लिये नई बनने वाली सड़क की एलाइनमेंट को ग्रीन बेल्ट की ओर खिसका दिया गया है। इसके लिये ग्रीन बेल्ट में लगे पचासों वर्ष पुराने हजारों वृक्ष काट डाले गये हैं। और तो और सेक्टर 17 के पिछवाड़े सरकार द्वारा बनाया गया रोज़गार्डन भी तहस-नहस कर दिया गया है।

कहां तक सच है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन चर्चा आम है कि इन शोरूमों को बचाने के लिये मोटी रकम का लेन-देन हुआ है। संदर्भवश समझने वाली बात यह भी है कि सेक्टरों के साथ छोड़ी गई ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से सेक्टरवासियों की सम्पत्ति है। इसे बेचना उन प्लॉटधारकों के साथ सरकारी धोखाधड़ी है जिन्होंने प्लॉट खरीदते वक्त इस ग्रीन बेल्ट के दाम ठीक वैसे ही चुका रखे हैं जैसे कि सेक्टरों में बने पार्कों व सड़कों आदि के लिये चुका रखे हैं।